

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:- स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ता एवं आशा फ़ैसिलीटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/- (एक हजार रु०) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/- की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/- (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रूप में किये जाने की स्वीकृति ।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फ़ैसिलीटेटरों की राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन में अहम भूमिका है। आशा कार्यकर्ताएँ विशेष रूप से गरीब गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को जॉच, परामर्श और संस्थागत प्रसव तथा परिवार नियोजन एवं अन्य समविषयक कार्यों में मदद करती हैं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप संस्थागत सुरक्षित प्रसव में वृद्धि के साथ-साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आयी है।

2- स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापक-789(12) दिनांक-09.08.2019 द्वारा आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फ़ैसिलीटेटरों के लिए 1000 रु० प्रतिमाह पारितोषिक हेतु पूर्व से निम्नांकित छ चिन्हित कार्य हैं, जिसमें कम से कम चार कार्यों को अनिवार्य रूप से किया जाना है -

क्र०सं०	कार्यक्रम	कार्य
1	प्रतिरक्षण	Due list अद्यतन कर 90% लक्षित बच्चों का Full Immunization कराने पर।
2	शिशु स्वास्थ्य	NBNC के अंतर्गत 60% बच्चों का दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण सख्या में गृह भ्रमण करने पर। (संस्थागत प्रसव में छ बार एवं घर होने वाले प्रसव में सात बार गृह भ्रमण किया जाता है)
3	मातृ स्वास्थ्य	सभी गर्भवती माताओं का Line listing एवं 60% गर्भवती माताओं का चार प्रसवपूर्व जॉच (ANC) कराने पर।
4	मातृ स्वास्थ्य	60% गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराने पर।
5	परिवार नियोजन	प्रत्येक माह अंतरा का एक Dose दिलवाये जाने पर।
6	आशा कार्यक्रम	प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग लेने पर।

3- आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फ़ैसिलीटेटरों की कार्य की महत्व को देखते हुए कार्यहित में विभागीय स्तर से विचारोपरांत यह अपेक्षित पाया गया है कि इनके वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/- (एक हजार रु०) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/- की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/- (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रूप में किये जाना है।

4- वर्तमान में राज्य में कुल 94664 आशा कार्यकर्ता एवं 4635 आशा फ़ैसिलीटेटर कार्यरत हैं। जिनका वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/- (एक हजार रु०) मात्र प्रति माह की दर से वार्षिक व्यय कुल 11921.88 लाख रुपये (एक अरब सन्नीस करोड़ इक्कीस लाख अठठासी हजार रुपये) मात्र प्रति माह का अनुमानित व्यय होगा।

आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलीटेटरों के रुपये 1000/- (एक हजार रु०) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/- की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/- (तीन हजार) मात्र राशि को सर्वर्द्धित करने के उपरान्त उक्त योजना हेतु कुल व्ययभार निम्नवत् आकलित किये गये हैं -

क्र०	कार्यकर्ता	कुल संख्या	वर्तमान पारितोषिक राशि (रु०)	प्रस्तावित पारितोषिक की राशि	अंतर राशि (रु०)	12 माहों के लिए परिगणित राशि (लाख रु० में)
1	आशा	94664	1000/-	3000/-	2000/-	34079.04 लाख
2	आशा फैसिलीटेटर	4685	1000/-	3000/-	2000/-	1836.60 लाख
	कुल योग	99349				35765.64 लाख

कुल अनुमानित बजट व्यय = 35765.64 लाख रुपये (रुपये तीन अरब सन्तावन करोड़ पैंसठ लाख चौसठ हजार) मात्र प्रतिवर्ष

5- उक्त राशि के व्यय का वहन वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में मांग संख्या-20 मुख्य शीर्ष 2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य -101 रोगों का निवारण एवं नियंत्रण -0114- आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलीटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन- विपत्र कोड-20-2210-06-101-0114 अन्तर्गत विषय शीर्ष-28 02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- विभागीय सकल्प संख्या-789(12) दिनांक-09.08.2019 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

7- उक्त परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/- (एक हजार रु०) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/- की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/- (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रूप में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पूर्व की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

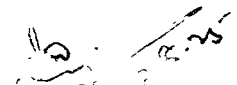
8- इस प्रस्ताव को मन्त्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक-05.08.2025 के मद संख्या-33 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

9- सकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-07/40क0- वजेट -33-08/2023-24 के पृ०-1/40 टि० में प्राप्त है।

10- यह सकल्प निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अस्तित्वपूर्ण अंक में सर्वसाधारण जन-जनकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(हस्ताक्षर)
सरकार, बिहार
Patna

ज्ञापांक-07 / प0क0-पट-33-08 / 2023-24 - 197 / 20 पटना, दिनांक-06/08/2025

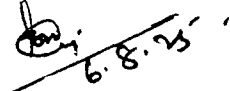
प्रतिलिपि:— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:— मुख्य मंत्री सचिवालय / मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना /सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असाैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:—अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


6.8.25
सरकार के अपर सचिव।
Munir